

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 1983/कार्तिक 19, 1905
No. 500] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1983/KARTIKA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1983

का.आ.802(अ)।—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधि-
नियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. का. आ.
717 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 1982 का आंशिक उपान्तर करते हुए मैसर्स जाबरा
शुगर मिल्स, जादरा, (मध्य प्रदेश) के प्राधिकृत व्यक्ति श्री एस. एस. उप्पल को

मैसर्स सेठ गोविन्द राम शूगर मिल्स, मेहीद पुर रोड, जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश)
को प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा. सं. 4(12)/78-सी. ड. प्रम.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th November, 1983

S.O. 802(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 717(E) dated the 7th October, 1982, the Central Government hereby authorises, with immediate effect, Shri S. S Uppal, Authorised Person of Messrs Jaora Sugar Mills, Jaora (M.P.), to take over the management of Messrs Seth Govindram Sugar Mills, Mehidpur Road, District Ujjain in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. 4(12)/78-CUS.]

A. P. SARWAN, Joint Secy.